



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 302 राँची, बुधवार,

2 जुलाई, 2025 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई, 2025

संख्या-01/आवंटन-02/2011-2195--झारखंड राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 2000 की धारा-28(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-
 - संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली, 2025' कही जायेगी।
 - विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - प्रभाव की तिथि:- यह विनियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 2004 (यथा संशोधित) के नियम-10(ii)(ज) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम 10(ii)(ज)- दिव्यांगों को आवंटन उनकी संबंधित श्रेणी यथा (क) (ख) (ग) एवं (घ) के लिए निर्धारित प्रतिशत का 5% क्षैतिज आरक्षण रहेगा। आवंटन की गणना में यदि इकाई की संख्या 01 से कम रहने पर भी 01 इकाई आवंटित की जाएगी। यदि गणना में इकाईयों की संख्या प्रतिशत में अथवा अपूर्ण संख्या में आये तो ऐसी स्थिति में निकटतमपूर्ण संख्या की गणना की जाएगी। इसके उपरान्त शेष बचे इकाईयों को उस श्रेणी के व्यक्तियों के बीच आवंटित किया जाएगा। दिव्यांग उपलब्ध नहीं होने के स्थिति में उस श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिशत यथावत् रहेगा। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगजनों को आवंटित इकाईयों का विचलन किसी भी परिस्थिति में न हो।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,

सरकार के प्रधान सचिव।
